

Maruti Clean Coal and Power Limited

Public Notice

M/s. Maruti Clean Coal and Power Limited is supplying five percent (5%) of net generated power (at variable cost) to Chhattisgarh State Power Distribution Company Ltd. from its 300 MW coal based thermal power plants situated at Village Bandakhar, of Tehsil Pali District Korba, in the State of Chhattisgarh. In compliance to the provisions of the Electricity Act, 2003 Section 62, 86 and applicable CSERC (Terms and conditions for Determination of Tariff according to Multi Year Tariff Principle, Methodology and Procedure for determination of Expected revenue from the Tariff and Charges) Regulations. M/s. Maruti Clean Coal and Power Limited has filed a Petition before the Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission (CSERC) for the determination of variable cost for FY 2015-16 to 2022-23. This petition is registered as petition no. 18 of 2024.

In the petition, M/s. Maruti Clean Coal and Power Limited has requested for approval of energy charge rate of INR 1.47/kWh for FY 2015-16, INR 1.79/kWh for FY 2016-17, INR 1.81/kWh for FY 2017-18, INR 1.88/kWh for FY 2018-19, INR 2.23/kWh for FY 2019-20, INR 1.82/kWh for FY 2020-21, INR 1.77/kWh for FY 2021-22 and INR 2.05/kWh for FY 2022-23 .

Persons intending to file Objections / suggestions, on the above petition, may submit the same to Secretary, Chhattisgarh State Electricity Regulatory Commission, Irrigation Colony, Shanti Nagar, Raipur – 492001 (CG), E-mail: cserc.sec.cg@nic.in and/ or copy to Sr. General Manager, Maruti Clean Coal and Power Limited, Village Bandakhar, of Tehsil Pali District Korba, in the State of Chhattisgarh, Email rpvishwakarma@acbindia.com within 21 days of publication of this notice.

Copy of this notice and the petition are available on the Commission's website www.cserc.gov.in. Hardcopy of the aforesaid petition is also available in office of the Commission and same can be purchased by paying an amount of Rs. 250/- from 11 AM to 4 PM on any working day. The copy of the petition may also be obtained by post by paying an additional amount of Rs. 50/- as postal expenses. Notice for hearing on aforesaid petition shall be published by CSERC in the newspaper separately.

**Sr. General Manager,
Maruti Clean Coal and Power Limited**

मारुति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड

सार्वजनिक सूचना

में. मारुति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड, कोरबा जिले के तहसील पाली के ग्राम बांधाखार में स्थित अपने 300 मेगावाट के कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्र से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड को शुद्ध (नेट) उत्पादित बिजली का पांच प्रतिशत (5%) परिवर्तनीय लागत पर आपूर्ति कर रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62, 86 के प्रावधानों और लागू सी.एस.ई.आर.सी. (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांत के अनुसार टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम और शर्तें टैरिफ और शुल्क से अपेक्षित राजस्व के निर्धारण के लिए पद्धति और प्रक्रिया) विनियमों के अनुपालन में में. मारुति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2015–16 से 2022–23 के लिए परिवर्तनीय लागत के निर्धारण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग (सी.एस.ई.आर.सी.) के समक्ष एक याचिका दायर की है। यह याचिका, याचिका क्रमांक 18 सन 2024 के रूप में पंजीकृत है।

याचिका में में. मारुति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2015–16 के लिए रुपये 1.47/kWh, वित्त वर्ष 2016–17 के लिए रुपये 1.79/kWh, वित्त वर्ष 2017–18 के लिए रुपये 1.81/kWh, वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए रुपये 1.88/kWh, वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए रुपये 2.23/kWh, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए रुपये 1.82/kWh, वित्तीय वर्ष 2021–22 के लिए रुपये 1.77/kWh, और वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए रुपये 2.05/kWh. की ऊर्जा शुल्क दर को मंजूरी देने का अनुरोध किया है।

उपरोक्त याचिका पर आपत्ति/सुझाव दाखिल करने के इच्छुक व्यक्ति इसे सचिव छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, सिंचाई कॉलोनी, शांति नगर रायपुर – 492001 (छ.ग.), ई.मेल: cserc.sec.cg@nic.in पर प्रस्तुत कर सकते हैं। और/या वरिष्ठ महाप्रबंधक मारुति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड, ग्राम बांधाखार, तहसील पाली, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ राज्य, को इस नोटिस के प्रकाशन के 21 दिनों के भीतर rpvishwakarma@acbindia.com पर ई मेल करें।

इस नोटिस और याचिका की प्रति आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in. पर उपलब्ध है।

उपरोक्त याचिका की हार्डकापी आयोग के कार्यालय में भी उपलब्ध है और इसे रुपये 250/- की राशि का भुगतान करके किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक खरीदा जा सकता है। याचिका की प्रति 50/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान करके डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। उपरोक्त याचिका पर सुनवाई के लिए सी.एस.ई.आर.सी. द्वारा समाचार पत्र में अलग से नोटिस प्रकाशित किया जाएगा।

वरिष्ठ महाप्रबंधक

मारुति क्लीन कोल एण्ड पावर लिमिटेड